UPSR010012652026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

जमानत आवेदन संख्या–475/2026

वसीम पुत्र अली अहमद उम्र–21 वर्ष निवासी–कहारनपुरवा दुर्गापुर, दा०–नेवरिया, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश।

2– सी०डब्लू०सी०, जनपद–श्रावस्ती।

3– डी०एल०एस०ए० श्रावस्ती।

4– वादी मुकदमा ठाकुर प्रसाद पुत्र नन्दलाल साकिन–बेड़सरी, दा०–फतुहापुर, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती। ––––––अभियोगी।

दिनांक–27–06–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त वसीम द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–252/2025 धारा–74 बी०एन०एस० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत दिया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ठाकुर प्रसाद पुत्र नन्दलाल ने थानाध्यक्ष–सोनवां को दिनांक–28–12–2025 को तहरीर इस आशय से दी कि दिनांक–28–12–2025 को समय शाम 5:30 बजे उसकी लड़की पीडिता उम्र–13 वर्ष घर पर अकेली थी। विपक्षी वसीम पुत्र अली अहमद उसके दरवाजे पर गया और उसकी लड़की के साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसकी लड़की पापकान वाले से पापकान ले कर वापस आ रही थी तब हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। द्वार पर उस समय कोई नहीं था। लड़की के चिल्लाने पर मौके से भाग गया

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–सोनवां, जनपद–श्रावस्ती में अभियुक्त वसीम के विरूद्ध धारा–74 बी०एन०एस० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह कथन किया है कि वह निर्दोष है और उसे रंजिशन फंसाया गया है। पीडिता ने घटना का समर्थन नहीं किया। व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण अभियुक्त को प्रश्नगत मुकदमें में फंसा दिया गया है। आरोप पत्र आ चुका है, कोई विवेचना शेष नहीं है। अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छुटने के पश्चात जमानत की शर्तों का पालन करेगा तथा गवाहान को प्रभावित नहीं करेगा। यह

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.06.27 16:04:22 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

आवेदक/अभियुक्त प्रथम जमानत आवेदन है, अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है, न तो निरस्त हुआ है। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) की बहस को सुना और पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है और जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। उक्त के विपरीत राज्य की आर से विद्वान डी०जी०सी० क्रिमिनल ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली में संलग्न पीडिता के शैक्षिक अभिलेख में उसकी जन्मतिथि 02–10–2012 अंकित है, जिसके अनुसार पीडिता की आयु 13 वर्ष 02 माह 26 दिन होती है। अभियुक्त पर पीडिता के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में घटना का समर्थन किया है परन्तु धारा–183 बी०एन०एस०एस० के बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है और बताया है कि वसीम ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी और न उसने उसका हाथ पकड़ा था। उसके पापा व वसीम के मध्य मोटरसाइकिल बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। अभियोजन पक्ष की आर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामला अधिकतम 07 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–09–06–2026 से अन्तरिम जमानत पर है और उसके द्वारा इस दौरान अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत मामले में अभियुक्त जमानत का पात्र है। अतः मामले के गुणदोष पर अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त वसीम पुत्र अली अहमद का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में मु०–50,000/–(पचास हजार) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग कि अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत करने पर बराबर उपस्थित होकर सहयोग करेगा, गवाहों के आने पर जिरह करेगा, गवाहों को पक्षद्रोही होने एवं सुलह के लिये दबाव नहीं देगा, आरोप एवं अन्तर्गत बयान धारा–351 बी०एन०एस०एस० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कारागार को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांक–27–06–2026

(अमित कुमार प्रजापति)
प्र० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।